Indian Contract Act - 1872

Act :- व्यापारिक वर्ग के लिए अनुबंध अधिनियम का अत्यधिक महत्व है क्योंकि व्यापार का कार्य तो अनुबंध पर ही निर्भर रहती है। व्यवसायिक जगत के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि अनुबंध में जो वचन दिए गए हैं उनका पालन किया जाए।
व्यापारिक सन्नियम का अनुबंध अधिनियम एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक शाखा है जिसके अभाव में व्यवसायिक संचालन अत्यंत ही मुश्किल होता है।
अनुबंध अधिनियम प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है जो व्यवसायिक समाज में रहता है क्योंकि उसे दिन-प्रतिदिन कई अनुबंधों का सामना करना पड़ता है।
आधुनिक सभ्यता इस अनुबंध का आधार है। जब एक व्यक्ति 1 कप चाय पीता है या कोई वस्तु खरीदता है अथवा बस में सफ़र करता है या बैंक से कर्ज लेता है उसे प्रत्येक स्थिति में उसे अनुबंध का सामना करना पड़ता है।

यही अनुबंध इसे एक कानूनी संबंध का बोध कराता है एवं निश्चित अधिकार तथा कर्तव्यों को बनाता है।

अनुबंध अधिनियम इसी समझौते को पूरा करने के लिए बनाया जाता है जिसे सभी पक्षकारों द्वारा पालन किया जाता है।

अनुबंध अधिनियम निम्न द्वारा निर्मित होता है:-

(a) पक्षकारों के मध्य समझौता होना।
(b) कोई पक्षकार इस समझौते के लिए बाध्य तो नही करता।
(c) कौन पक्षकार इस समझौते से प्रभावित होता है।

अनुबंध अधिनियम के उद्देश्य अनुबंध के पक्षकारों को अपने वचन एवं दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य करता है। जिससे व्यावसायिक क्रियाओं का सफल संचालन हो सके।

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से पूर्व देश में ऐसा कोई सामान्य अधिनियम नही था जो सम्पूर्ण राष्ट्र में समान रूप से लागू होता रहा हो।

1866 में तीसरे विधि आयोग में सामान्य रूप से अधिनियम का प्रारूप तैयार किया जिसमें कई संशोधन करने के बाद 25 April 1872 को भारतीय संसद द्वारा इसे पारित किया गया एवं 1 Sept से यह जो 'जम्मु-कश्मीर' राज्य को छोड़कर पूरे राज्य में लागु है।

धारा 1 के अनुसार, "यह अधिनियम व्यापारिक सन्नियम, उसका प्रयोग और ~~तथ्य~~ कानून को प्रभावित नही करता। यदि कोई इसके विरुद्ध जाए तो इस पर अधिनियम असर लगाता है।

इस अधिनियम का वर्तमान रूपरेखा:- भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:-

(i) अनुबंध के सामान्य सिद्धांत
(ii) विशिष्ट अनुबंध

(i) अनुबंध के सामान्य सिद्धांत → अनुबंध का पहला भाग है जो सामान्य सिद्धांतों पर व्यवहार करता है। इसमें निम्न को शामिल किया जाता

है :—

(a) समझौता।
(b) वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण
(c) सांयोगिक अनुबंधों
(d) गरभित अनुबंध
(e) अनुबंधों का निष्पादन
(f) अनुबंध भंग के उपचार

(ii) विशिष्ट अनुबंध → यह धारा 124 से 238 के बीच लागू होता है जिसमें निम्न को सम्मिलित किया जाता है :—

(a) धारा 124 से 147 तक हानिरक्षा एवं प्रतिभुति अनुबंध
(b) निक्षेप तथा गिरवी का अनुबंध (148 – 181 धारा)
(c) एजेंसी अनुबंध (धारा 182 – 238)

★ क्या अनुबंध अधिनियम अपने आप में पूर्ण है :—

→ भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 अनुबंध के संबंध में उसके सभी पहलुओं एवं शाखाओं पर विशेष चर्चा नही करता। यह तो केवल कानुन के कुछ हिस्सों एवं विशेष अनुबंधों से संबंधित है। इस अधिनियम के अंतर्गत बीमा, साझेदारी नही आते। अतः भारतीय अनुबंध अधिनियम अपने

आप में पूर्ण नही है।
दुसरे शब्दो में, भारतीय अनुबंध अधिनियम अनुबंध के सभी कानुनो, प्रावधानो एवं रीति-रिवाज को शामिल नही किया गया है। अतः यह सर्वमान्य नही है। यह अंग्रेजो सन्नियम का ही प्रारूप है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम का प्रावधान अपूर्ण है एवं कमी-कमी यह स्पष्ट परिणाम नही देता है। इसके संदर्भ में, Pollock," का यह कहना है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम बनावटी है एवं न्युनतम दर्जे का अधिनियम है।"

* <u>According to Lord Brice,</u>" इस अधिनियम की बनावट अत्यंत दोषपूर्ण एवं अस्पष्ट है।"

* <u>According to Justice Chagla,</u>" अनुबंध अधिनियम हानिरक्षा के अनुबंध का पूर्ण व्याख्या द्वारा (124 एवं 125) में नही किया है।"

* **भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 का मूल्यांकन :—**

भारतीय अनुबंध अधि-नियम, 1872 भारत में 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ है। इसके लागू होने के कुछ ही समय पश्चात से ही इसकी कटु शब्दों में आलोचना की जाती रही है, जो निम्नलिखित तरीके से है :—

* **According to Dr. Stocks,** "भारतीय अनुबंध अधिनियम की व्यवस्था अधूरी है तथा कहीं-कहीं अस्पष्ट है।"

* **According to Sir Pollock,** "यह सबसे न्युनतमकोटि की संहिता है।"

* **According to Civil Justice Committee,** "भारतीय अनुबंध अधिनियम कुछ दृष्टिकोणों से दुरदर्शी है, किंतु हम इसको गणना सर्वोत्तम संहिताओं में नहीं कर सकते तथा इसमें संशोधनों की आवश्यकता है।"

* **Conclusion,** :- उपयुक्त विचारधाराओं के अनुसार निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते है कि, "भारतीय अनुबंध अधिनियम को